न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–177 / 2026
(चकाई थाना कांड संख्या 11 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

जयनंदन पासवान बनाम राज्य सरकार

आदेश

23.03.2026

1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **जयनंदन पासवान** उम्र लगभग 42 वर्ष पिता–मित्तन पासवान साकिन–कोड़वाडीह, थाना चकाई, जिला जमुई द्वारा चकाई थाना कांड संख्या 11 / 2026 धारा 135 विद्युत अधिनियम में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री नकुल ठाकुर तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 19.01.22026 को विद्युत बकायेदारों के विद्युत विच्छेदन तथा विद्युत चोरी के खिलाफ एक छापेमारी दल का गठन किया गया जिसमें सूचक के अलावे श्री सचिन कुमार पावसन मानवबल, श्री सोहन कुमार यादव मानवबल, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा चकाई के बिजली मिस्त्री / मानवबल मौजूद थे। जांच दल लगभग 5:20 बजे अपराह्न में जयनंदन पासवान, पिता– मित्तन पासवान, ग्राम कोहबाराटांड, पोस्ट चकाई थाना चकाई जिला जमुई के व्यवसायिक परिसर पर पहुंचा तथा जांच के क्रम में पाया गया कि इनके व्यवसायिक परिसर पोल्ट्री फार्म में बिना वैध विद्युत सम्बन्ध के एल0टी0 पोल से टोका जोड़कर अवैध रूप से 0.518 किलोवाट विद्युत उर्जा का उपयोग किया जा रहा था। जब सूचक के द्वारा इनसे विद्युत सम्बनध लेने से सम्बन्धित कागजात मांगा गया तो इनके द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया। इनके इस कृत से सा0 बि0 पा0 डि0 कं0 लिमिटेड को लगभग राशि 68451 / –रू0 राजस्व की क्षति हुई। विद्युत चोरी में प्रयुक्त तार को काटकर जब्त कर लिया गया जिसे जब्ती सूची में दर्शाया गया है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक की ओर से सत्र न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक का इस घटना में कोई भूमिका नहीं है। यह कि आवेदक कुल नुकसान की राशि का 1 / 4 जमा करने के लिए तैयार है और मामले को निपटाने और नुकसान राशि का ताजा अनुमान लगाने के लिए कंपाउंडिंग ऑथिरिटी के समक्ष अपनी शिकायत रखने के लिए तैयार है। आवेदक जमुई का स्थायी निवासी है तथा समाज में उसकी गहरी जड़े हैं। यह कि आवेदक के भागने या तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यह कि आवेदक धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के तहत न्यायालय के सभी शर्तों को मानने को तैयार है तथा आवेदक न्यायालय के संतुष्टियोग्य बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। इस वाद में वाद का अनुसंधान अभी जारी है। आरोप–पत्र अभी समर्पित नहीं किया गया है। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक विद्युत विभाग का उपभोक्ता है आवेदक जयनंदन पासवान पर आरोप है कि इनके व्यवसायिक परिसर पोल्ट्री फार्म में बिना वैध विद्युत सम्बन्ध के एल0टी0 पोल से टोका जोड़कर अवैध रूप से 0.518 किलोवाट विद्युत उर्जा का उपयोग किया जा रहा था। जब जांच के द्वारा इनसे विद्युत सम्बन्ध लेने से सम्बन्धित कागजात मांगा गया तो इनके द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया गया। इनके इस कृत से सा0 बि0 पा0 डि0 कं0 लिमिटेड को लगभग राशि 68451 / –रू0 राजस्व की क्षति हुई। विद्युत चोरी में प्रयुक्त तार को काटकर जब्त कर लिया गया तथा संलग्न कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त क्षति में धारा 152 के अन्तर्गत कम्पाउंडिंग की राशि सम्मिलित नहीं है।

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–177 / 2026
(चकाई थाना कांड संख्या 11 / 2026 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

जयनंदन पासवान बनाम राज्य सरकार

23.03.2026 आवेदक जो एक व्यवसायी हैं उनकी समाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये इस वाद के तथ्यपूर्ण विवेचन एवं वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का पचास प्रतिशत (50%) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने पर तथा शेष राशि को तीन बराबर किस्तों में इस आदेश से तीन माह के अन्दर जमा करने पर एवं कम्पाउन्डिंग शुल्क भी अंतिम किश्त अथवा उसके पहले जमा करने का शपथपत्र न्यायालय में देने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में बकाया राशि का पचास प्रतिशत (50%) शुल्क जमा कर, उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर तथा इस आदेश में उल्लिखित बातों का शपथ पत्र दाखिल करने पर एवं आवेदक द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसर्पण करने अथवा इस वाद में पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं 438(2) द0प्र0सं0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदक **जयनंदन पासवान** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। यदि आवेदक उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो यह आदेश प्रभाहीन हो जायेगा।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।

मेमो संख्या–..... दिनांक–.....
प्रति अग्रिसारित न्यायालय–श्री अनिमेश रंजन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।